तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
13-9-19	आज यह प्रत्यावर्ती वकील प्रार्थी द्वारा लिखित नालिश पत्र पेश करके तामील कराई जाने का निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं मौखिक रूप से पत्र को खारिज करवाना चाहता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अपील नहीं चलाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोट प्रोसेस से खारिज किया जाता है। प्रत्यावर्ती फैसला शुमार होकर नस्ल से कम दी एवं कक्ष तरमीम जाबता मूल राशि से संलग्न रहे।	

Not Relevant

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:29:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner